न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022

गुमाननाथ पुत्र कानानाथ जाति जोगी उम्र 52 साल
नारायणनाथ पुत्र काननाथ जाति जोगी उम्र 51 साल
सायरनाथ पुत्र काननाथ जाति जोगी उम्र 54 साल
सर्व जाति जोगी सर्व निवासी ग्राम डांग तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्नी पत्नी श्री माणकचन्द जैन, बालिग, निवासी ग्राम सिरोंज तहसील अरांई जिला अजमेर हाल निवासी इन्द्रा कालोनी किशनगढ जिला अजमेर राज0।
2. भू– धारी तहसीलदार , तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 07.06.2024

उपस्थितः वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी दौराने बहस

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री प्रकाशचन्द के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम डांग पटवार हल्का डांग तहसील अरांई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 23 रकबा 1.1811 हैक्टैयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड के अनुसार हिस्सा निहित है तथा इसी के अनुसार वे मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के पास ही अप्रार्थीया संख्या 01 की दक्षिण दिशा में स्थित खसरा संख्या 855/23, 21 एवं 855/17 स्थित है जिसमें से रास्ते की मांग [illegible] है। प्रार्थीगणों की उक्त वादअधीन आराजी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 855/23, 21 एवं 855/17 के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी पूर्व में अपनी जोत में आने जाने के लिये खसरा संख्या 855/23, 21 एवं 855/17 में नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते का उपयोग करता आया है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 11:57:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त के खसरा संख्या 23 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 855/23, 21 एवं 855/17 में से 15 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 855/23, 21 एवं 855/17 में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

1. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। दिनांक 20.05.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील अप्रार्थी श्री महावीर मालाकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के अपने खसरा संख्या 23 में आवागमन के लिये वर्तमान में रास्ता मौजूद है जो कि खसरा संख्या 19 व 853/20 के पश्चिमी सीमा से होते हुये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 854/20 में प्रवेश करते हुये 23 में प्रवेश करते हैं तथा खसरा संख्या 18, 19 भी प्रार्थीगणों के परिवार की भूमि है, तथा प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग मौजूद है किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा के आधार पर यदि रास्ता दर्ज किया गया तो जवाबकर्तागण के खेत के दो टुकडे हो जायेगें जो कि विधिमान्य नहीं है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।
2. दिनांक 22.03.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि वादअधीन आराजी खसरा संख्या 23 में आवागमन के लिये वर्तमान में 02 रास्ते मौके पर उपलब्ध है। खसरा संख्या 855/23, 21, 852/17 में से होकर तथा खसरा संख्या 19, 853/20 में से होकर रास्ता मौजूद है, खसरा संख्या 19, 853/20 में से रास्ता दिया जाना उचित है, खसरा संख्या 855/23, 21, 852/17 में से रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगणों की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी मानचित्र भू.अ.नि. सिरोंज एवं हल्का पटवारी द्वारा पेश किया है, जो निम्न प्रकार है

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 11:57:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

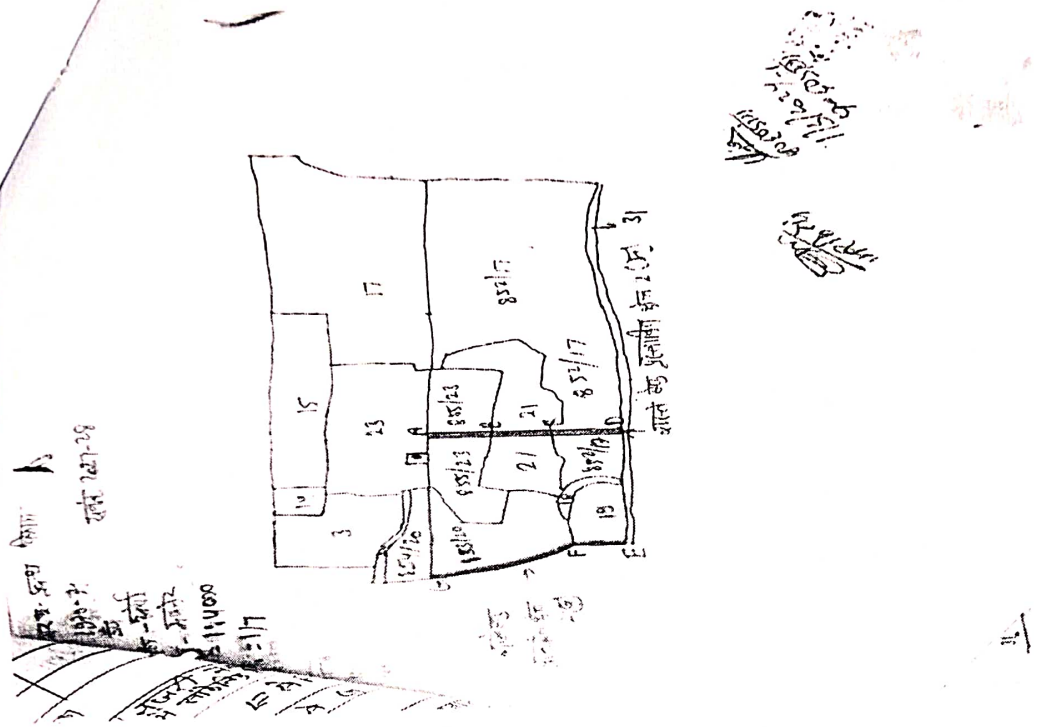

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्वापित राशि जमा करवाने को तैयार है श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता देने पर उनकी भूमि विभक्त हो जाती है, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:—

—: आदेश :—

तहसीलदार अरांई द्वारा पेश मौका रिपोर्ट से ताईद है कि मौके पर खसरा संख्या 855/23, 21, 852/17 तथा 19, 853/20 से आवागमन हेतु रास्ता खुला हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थीगणों की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाती है जिससे अप्रार्थीगणों को कृषि कार्य करने में असुविधा होगी। प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज.का.अधि. की धारा 251क के अनुसार ''यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो''

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज0का0अधि0 1955 को खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 11:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अराई(अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी